संख्या- 02 /2023/973/तेइस-7-2022/001/03(सा0)/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता, बजट-क वर्ग,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊ: दिनांक 02 जनवरी, 2023

विषय:- आर्बीट्रेशन वाद संख्या-38/2012 मै0 बंसल स्टोन सप्लायर्स बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 मध्यस्थता अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-04-2016, इजराय वाद सं0-859/2018 में मा0 न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-03-2022 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-10965/2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-07-2022 के अनुपालन में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक-4729/बीजी/245बी(06)/2022-23, दिनांक 23-08-2022 एवं पत्रांक-288/बीजीजी/245बी(06)/2022-23, दिनांक 06-10-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, आर्बीट्रेशन वाद संख्या-38/2012 में मा0 मध्यस्थता अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-04-2016, इजराय वाद सं0-859/2018 में मा0 न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-03-2022 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-10965/2022 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-07-2022 के अनुपालन में धनराशि रू0 33,96,226.00 (रूपये तैतीस लाख छियानबे हजार दो सौ छब्बीस मात्र) का आवंटन डिक्रीटल मद से किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1)- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा द्वारा अन्तिम रूप से भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि किसी अन्य योजना/ मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 33,96,226(रूपये तैतीस लाख छियानबे हजार दौ सौ छब्बीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-58 लेखाशीर्षक 5054808000301 न्यायालयो की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य(भारित) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक-07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

संख्या- 02 /2023/973/तेइस-7-2022- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, आगरा।
3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0,लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, आगरा।
6- मुख्य अभियन्ता(मु0–1/2) लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र लोक निर्माण विभाग,आगरा।
8- अधीक्षण अभियन्ता, आगरा वृत्त, लोक निर्माण विभाग, आगरा ।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
10- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
11- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।